न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 — 25 / 2025
अनवान —

1. छत्रपाल पुत्र हरीशचन्द्र जाति जाट निवासी रामपुरा हाल परलीका त0 नोहर।

— **प्रार्थी**

बनाम

1. सत्यपाल पुत्र हरीशचन्द्र जाति जाट निवासी रामपुरा हाल परलीका त0 नोहर।
2. तहसीलदार राजस्व टिब्बी

—**अप्रार्थीगण**

प्रा.पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान कास्तकारी
अधिनियम

श्री सुभाष गर्ग प्रार्थी
श्री एनपी वर्मा अप्रार्थी सं0 1

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि रोही मौजा चक 3 आरडब्लयूडी के खाता स0 16 / 14 की कुल 4.0480है0 कमाण्ड आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी के नाम बहिब0 आराजी दर्ज है। उक्त वाद भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी की संयुक्त खाता की खातेदारी है जिसके बाबत पक्षकारान के मध्य कोई विधिवत् बंटवारा नही हुआ है। प्रार्थी उपरोक्त वर्णित आराजी के 1 / 2 हिस्सा काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। लेकिन प्रार्थी की आराजी का खाता व लगान संयुक्त होने के कारण सीमा आदि का विवाद बना रहता है। अप्रार्थी सं0 1 बिना खाता विभाजन करवाये अपने हिस्सा की आराजी को अन्य दिगर व्यक्तियों को विशिष्ट किलों को बेचान करने पर आमादा है तथा प्रार्थी के कब्जा काश्त में जबरदस्ती मदाखलत बेजा करने पर आमदा है। अतः अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद पाबन्द किया जावें कि वह उक्त वाद भूमि के रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनायें रखें। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में आरआरडी 14.02.2010 पेज 96 शंकरलाल बनाम दलीपआदि की नजीर प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला वाद कन्फर्म करने हेतु निवेदन किया।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र की आराजी में अप्रार्थी सं0 1 का 1 / 2 हिस्सा राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है अप्रार्थी द्वारा विशिष्ट किलो को बैचान नहीं किया जा रहा है। उक्त भूमि अप्रार्थी सं0 1 की खातेदारी भूमि है तथा अप्रार्थी सं0 1 को उसका हिस्सा बैचान करने से कानूनन नहीं रोका जा सकता है। प्रार्थी द्वारा स्थगन आदेश की आड़ में अप्रार्थी को जानबुझकर तंग परेशान किया जा रहा है। अप्रार्थी अपने हिस्सा की भूमि को रहन, बैय करने के लिए